कीटनाशकों के संपर्क में आते हैं। इसमें कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले कृषि श्रमिक और कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान तथा उसके तुरंत बाद आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोग शामिल हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे भविष्य में रासायनिक कीटनाशक उत्पादों को छोड़ कर जैविक कृषि उत्पादों की प्राथमिकता के महत्व को बढ़ाने के विषय पर गंभीरता से विचार करें, विषैले कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाएँ और उनके उत्पादन, वितरण तथा उपयोग पर सख्त नियमन और नियंत्रण के लिए भी उचित व्यवस्था करें, जिससे प्रकृति पर आधारित एक ऐसी कृषि प्रणाली होगी, जिसमें न कैंसर का डर होगा और न ही अन्य बीमारियों की चपेट में आने का भय। इससे खेती की लागत घटेगी, किसान खुशहाल होंगे और हमारा पर्यावरण साफ-सुथरा होगा। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) and Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh).

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय डा. सिकंदर कुमार जी। माननीय श्री नरेश बंसल जी।

Demand for censorship on Over The Top (OTT) platforms

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): उपसभापति जी, ओटीटी पर सेंसरशिप होनी चाहिए। सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। हम चलते-फिरते मनोरंजन के युग में जी रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्मों के तेजी से उभरने के बाद हम जब चाहें, जहाँ चाहें, अलग-अलग तरह के शो और कार्यक्रमों से अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बेकाबू हैं। फिल्मों के रिलीज से पहले उन्हें सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर फिल्मों में कोई आपत्तिजनक संवाद या दृश्य हो, तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती है। सेंशरशिप एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग एरिया की तरह है। वहाँ हर चीज नजरों से होकर गुजरती है। वहाँ कैमरे

और स्कैनर होते हैं। इसलिए अगर आप कोई अवैध सामान ला रहे हैं, तो उसका पता लग जाता है और उसे रोक दिया जाता है। ओटीटी प्लेटफार्म पर सेंसरशिप जैसी कोई चीज नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कंटेंट को विनियमित करना आवश्यक है। भारतीय समाज में, खासकर युवाओं के बीच, नैतिक पतन गंभीर चिंता का विषय है। आजकल बच्चों को मोबाइल फोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्री देखने को मिल रही है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें कई बार आपत्तिजनक और हानिकारक कंटेंट्स होते हैं, जो मानसिक रूप से परेशान करने वाले होते हैं। चूँकि सेल्फ-सेंसरशिप नहीं हो रही है, तो आपत्तिजनक सीन बच्चे भी देखते हैं, इसलिए इस पर तुरन्त पाबंदी लगनी चाहिए। अगर साफ सुथरा कंटेंट रहेगा, तो कई गुना ज्यादा चलेगा और लोग इसे देखना पसंद करेंगे।

महोदय, इसमें कई आपत्तिजनक शब्द और संवाद होते हैं, इसलिए बच्चे उन्हें सीखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए सेंसरशिप होनी चाहिए। अगर ओटीटी प्लेटफार्म्स अपनी सीमा पार करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टीवी चैनलों की तुलना में ओटीटी प्लेटफार्म्स को अब अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि वर्तमान में इसके लिए कोई नियम नहीं है, जो कुछ दिखाया जाता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ओटीटी के लिए एक सामग्री नियामक ढांचा हो और सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Naresh Bansal: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) and Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand).

Demand to cover jobless workers of Textile sector under Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana (RGSKY)

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to raise the issue to provide benefits under RGSKY to textile workers rendered jobless. The textile